



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 872) पटना, बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 163, दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण को सुगम बनाने, कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और बंदोबस्त तथा इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के लिए समान माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में "www.gst.gov.in" को अधिसूचित करते हैं।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3527)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 164, एस०ओ० 163 दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3527)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O. 164, dated 21st September 2017—In exercise of the powers conferred under section 146 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby notifies "www.gst.gov.in" as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).

2. This notification shall come into force from 28th day of June, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3527)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)872-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>